पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी/1600-II-15

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी

श्री लाखन सिंह धाकड़ द्वारा आज दि. 19/06/15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

19.06.15
(L.S. Dhakad Adv.)

1— रामदयाल रावत पुत्र मथुरा प्रशाद रावत

2— विण्डल रावत पुत्र रामदयाल रावत

3— हल्के रावत पुत्र रामदयाल रावत

4— जतन पुत्र रामदयाल रावत

निवासीगण— ग्राम डिगवार , तहसील सबलगढ , जिला मुरैना (म.प्र.)

.... आवेदकगण

बनाम

इमरती बाई उर्फ रामबाई पत्नी होतम रावत , निवासी ग्राम – वद्व का पुरा रोड सबलगढ ,जिला मुरैना (म.प्र.) .... अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय चुम्बल संभाग मुरैना के पकरण क्रमांक 60/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 04.06.2015 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत ।

श्रीमान् जी,

टावेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य –

1. यहकि, यहकि, विवादित् भूमि सर्वे क्रमांक 379/3, 504, 509/2, 732/1 एवं 123/797/1 कुल किता 5 कुल रकवा 1.00 हैक्टेयर भूमि ग्राम डिगवार, तहसील सबलगढ, जिला मुरैना में स्थित है। विवादित भूमि के संबंध में अनावेदिका द्वारा तहसील न्यायालय सबलगढ जिला मुरैना के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि पर निगरानीकर्ता/अपीलार्थी मुझे तथा बटाईदारों को खेती नही करने देते जिस पर से तहसील न्यायालय द्वारा बिना जॉच कराये सीधे गलत तरीके से

4

(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1600–एक/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 4–6–2015– पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 60/2014–15 अपील

1– रामदयाल पुत्र मथुरा प्रसाद रावत
2– विण्डल पुत्र रामदयाल रावत
3– हलके पुत्र रामदयाल रावत
4– जतन पुत्र रामदयाल रावत
सभी निवासी ग्राम डिगवार
तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना ---आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती इमरती उर्फ रामावाई
पत्नि होतम सिंह ग्राम वद्ध का पुरा
रोड सबलगढ़ जिला मुरैना ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0एस0धाकड़)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री कुँअरसिंह कुशवाह)

आ दे श

(आज दिनांक 18 – 12– 2015 को पारित)

यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 60/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 4–6–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम डिगवार स्थित भूमि कुल किता 5 कुल रकबा 1.000 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) अनावेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर है, जो परिवार से बटवारे में प्राप्त है। इसी भूमि पर आवेदकगण व्दारा जबरन कब्जा कर लेने के कारण अनावेदक ने महिला होने से अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ को आवेदन देकर पुलिस बल के साथ भूमि जुतवाये जाने की प्रार्थना की। अनुविभागीय अधिकारी ने मामला म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत होने से आवेदन पत्र तहसीलदार सवलगढ़ को अग्रेषित किया। तहसीलदार सवलगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 2/10-11 अ 70 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 30-6-11 से आवेदकगण को बेदखल किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण क्रमांक 25/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-9-14 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग,मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 60/2014-15 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 4-6-15 से अपील निरस्त हुई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में दर्शित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि अनावेदक वादग्रस्त भूमि की भूमिस्वामिनी है जिस पर आवेदकगण जबरन अतिक्रमण किये हैं। वादग्रस्त भूमि अनावेदिका को बटवारे मे प्राप्त हुई है। आवेदकगण व्दारा बताया गया है कि

आवेदक कमांक-1 की अनावेदिका रिस्ते में सगे भाई की पत्नि होकर सगी भाभी है एंव आवेदक कमांक 2 से 4 की ताई है जिसका विवाह स्वर्गीय होतम के साथ हुआ था और होतम विवाह के एक वर्ष वाद मर गया और अनावेदिका ससुराल छोड़कर मायके ग्राम थरा चली गई, जिसके कारण वादग्रस्त भूमि पर उसका स्वत्व नहीं है एंव वादग्रस्त भूमि के स्वत्वाधिकारी आवेदकगण है। विचाराधीन प्रकरण अनावेदिका के नाम की एंव स्वत्वांकित भूमि पर बेजा कब्जे का है एंव स्वत्व के बिन्दु के निराकरण हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन से उनके व्दारा निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग,मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 60/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-6-15 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर